# फर्द अहकाम

राजेन्द्र बनाम [illegible]

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर

संख्या ए. - 03/2018

| क्रमांक | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|
| | 07/09/2020 | पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थी ने उपस्थित होकर दावीनामा होना बताया तथा 1 दिवस का समय चाहा गोकि जमाबंदी पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 24/09/2020 को पेश है। सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम | |
| राजेन्द्र 24/09/2020 | | पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थी एवं वकील प्रार्थी ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र आराजी निजधारा को विद्रा करने हेतु पेश किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अराजी सर्वे नं. 2 मौ. के अधिकारी ने No objection किया है तथा प्रार्थनापत्र में अंकित कथन है कि प्रकरण के प्रार्थी और आगे नहीं चलाना चाहता है और सहमति से ही निपटारा कराना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त प्रार्थना पत्र को विद्रा ~~करते~~ किये जाने के आदेश प्रदान करें। इसने वकील प्रार्थी व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया जिसमें अराजी सर्वे नं. 2 मौ. ने भी उक्त प्रार्थनापत्र को विद्रा के स्वीकार करने हेतु प्रार्थना पत्र पर No objection किया गया है। ~~अतः~~ तथा वाद विद्रा प्रार्थना पत्र को न्यायहित में स्वीकार किया जाता है ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र आराजी निजधारा को चलाना कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना आराजी निजधारा विद्रा न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र आराजी निजधारा को स्वीकार होने से प्रार्थना ~~को खारिज कि~~ आराजी निजधारा को खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible] से न्यायालय से [illegible] होकर [illegible] है। | राजेन्द्र |

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2020.11.26 11:32:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner